रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 340] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवंबर, 2014

संख्याः 310–5(2)/2013–एफएण्डईए – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) उप–खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः –

दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां संशोधन) आदेश, 2014

(2014 का 8)

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड–7 के उप–खंड–(i) में:–

(क) प्रथम प्रावधान में, शब्द 'सेवा प्रदाताओं', जहां भी दिखाई दे रहा है उसके बाद, 'या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं' शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा;

(ख) दूसरे प्रावधान के बाद, निम्न प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा, नामतः –

''इस उपखंड में उपलब्ध प्रावधान किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता पर एक वित्तीय वर्ष में लागू नहीं होगा यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उसके ग्राहकों की कुल संख्या 10,000 से कम हो।''

मनीष सिन्हा, सलाहकार (एफएण्डईए–।)

[विज्ञापन III/4/असा./142/14]

टिप्पणी 1 – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:–

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6ठा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306–1/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301–9/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303–4/ट्राई–2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306–2/ट्राई–2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310–5(17)/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312–7/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301–6/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312–5/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51/2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56/2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2/2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37/2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31/2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34/2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2/2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301–34/2006–आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301–18/2007–आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301–36/2007–आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301–14/2008–आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301–31/2007–आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301–25/2009–ईआर दिनांक 20.11.2009
50वां	301–24/2012–ईआर दिनांक 19.04.2012

51वां	301–26/2011–ईआर दिनांक 19.04.2012
52वां	301–41/2012–एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
53वां	301–39/2012–एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
54वां	301–59/2012–एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
55वां	301–10/2012–एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
56वां	301–26/2012–ईआर दिनांक 26.11.2013
57वां	312–2/2013–एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
58वां	312–2/2013–एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014

टिप्पणी 2 – व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां संशोधन) आदेश, 2014 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खण्ड 7 (आगे टीटीओ, 1999 के रूप में संदर्भित) के अनुबंध के अनुसार सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पहली बार विनिर्दिष्ट टैरिफ और उसके तदन्तर सभी परिवर्तनों के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा, बशर्ते कि दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के द्वारा थोक ग्राहकों जैसे कि छोटे और मध्यम उद्यमों, संस्थाओं आदि को या तो निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस सेवा प्रदाताओं एवं थोक ग्राहकों के बीच विचार विमर्श के आधार पर पेशकश की गई टैरिफ की रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होंगी। टीटीओ 1999 के खंड 2 (एल) में दिये गये 'रिपोर्टिंग की आवश्यकता' के प्रावधानों के अनुसार सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी नए टैरिफ एवं उनमें किसी भी तरह के परिवर्तन को, स्व–परीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद कि उक्त टैरिफ नियामक सिद्वांतों के समर्थन में तैयार की गई है तथा जिसमें आईयूसी का अनुपालन, गैर–भेदभाव और भयमुक्ति के तत्वों को, *अन्य बातों के साथ साथ (inter-alia)*, सम्मिलित किया गया है, सात कार्यदिवस के अंदर प्राधिकरण को सूचित करेगा।

2. टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता के संबंध में, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता एसोसिएशन (आईएसपीएआई) ने प्राधिकरण से निम्नलिखित अनुरोध किया था :–

   (क) छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपीएस) को टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दी जाय क्योंकि बड़ी संख्या में छोटे आईएसपी, जो श्रेणी – बी या सी में एक सीमित तरीके से इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके पास न तो विशाल ग्राहकों की संख्या है और न ही उच्च राजस्व है।

   (ख) दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं की तरह सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को थोक ग्राहकों को दी जाने वाली टैरिफ की रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दी जाय।

3. इस संबंध में, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा थोक ग्राहकों को या तो निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस सेवा प्रदाताओं एवं थोक ग्राहकों के बीच विचार विमर्श के आधार पर पेशकश की गई टैरिफ की रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट की तरह ही छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (10,000 से कम ग्राहकों की संख्या) को टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट देने हेतु प्राधिकरण के द्वारा एक दूरसंचार टैरिफ (59वां संशोधन) आदेश, 2014 का मसौदा दिनांक 24.09.2014 को जारी किया गया था जिसपर हितधारकों को अपनी टिप्पणियॉं दिनांक 14.10.2014 तक प्राधिकरण को देना था।

4. प्राधिकरण को 10 हितधारकों (3 उद्योग संघों, 5 टीएसपी'एस, 1 उपभोक्ता एसोसिएशन और 1 अन्य) द्वारा टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इन प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हितधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को नीचे संक्षेप में दिया गया है :–

   (क) ज्यादातर हितधारकों ने, दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के द्वारा थोक ग्राहकों को या तो निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस सेवा प्रदाताओं एवं थोक ग्राहकों के बीच विचार विमर्श के आधार पर पेशकश की गई टैरिफ की रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट की तरह ही छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट देने का समर्थन किया है।

   (ख) कुछ हितधारकों ने छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट देने हेतु प्राधिकरण के निर्णय का स्वागत और समर्थन किया है।

   (ग) हितधारकों में से एक का मानना है कि छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए 10,000 से कम ग्राहकों की संख्या का मानदंड पूरे भारत के बजाय प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र का होना चाहिए।

   (घ) एक हितधारक (आईएसपीएआई) का मानना है कि सभी श्रेणी–सी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके ग्राहकों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए टैरिफ रिर्पोटिंग में छूट दी जाए।

   (ड़) कुछ हितधारकों की राय है कि टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता का प्रावधान, ग्राहक आधार या दी जाने वाली सेवा को ध्यान में नहीं रखते हुए, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक जैसा होना चाहिए। उनकी ये भी राय है कि एक सेवा प्रदाता के ग्राहकों की संख्या एवं टैरिफ रिपोर्टिंग के विनियामक दायित्व के बीच कोई संबंध नहीं है।

   (च) कुछ हितधारकों की राय है कि बाजार उच्च प्रतिस्पर्धी है जो टैरिफ रिपोर्टिंग के संबंध में उपभोक्ता हितों को सुरक्षित करता है, इसलिए सभी सेवा प्रदाताओं को टैरिफ रिपोर्टिंग में छूट दी जानी चाहिए न कि सिर्फ उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जिनका ग्राहक आधार कम से कम 10,000 है।

   (छ) हितधारकों में से एक का मानना है कि कई उपभोक्ताओं ने इन छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायतें की हैं और इसलिए, उन्हें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि हितधारकों द्वारा प्रगणित शिकायतें गुणवत्ता की सेवा, बिलिंग, आदि से संबंधित है जिन्हें ट्राई को टैरिफ की रिर्पोटिंग के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।

5. छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित तथ्यों को मद्देनजर रखा :–

(क) प्राधिकरण, बाजार में प्रतिस्पर्धा के विकास को ध्यान में रखते हुए टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट देता रहा है। विनियमन में, टैरिफ को उसके कार्यान्वयन के कम से कम पांच दिन पहले प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के प्रावधान से लेकर टैरिफ को कार्यान्वयन के बाद सात कार्यदिवस के अंदर प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के प्रावधान तक का परिवर्तन आया है।

(ख) टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य सुसंगत टैरिफ योजनाओं की जॉच करना कि उसमें आईयूसी अनुपालन, गैर–भेदभाव और भयमुक्ति जैसे विनियामक सिद्धांतों का पालन हो रहा है।

(ग) 31.03.2014 को देश में लगभग 25.2 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों की संख्या थी। शीर्ष के 10 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की ग्राहकों की संख्या के आधार पर संपूर्ण इंटरनेट बाजार के 97.87 प्रतिशत पर अधिकार है। शीर्ष के 18 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में प्रत्येक के पास 1 लाख से ऊपर ग्राहक आधार है और शीर्ष के 43 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में प्रत्येक के पास ग्राहकों की संख्या 10,000 से भी अधिक हैं। 10,000 से अधिक ग्राहकों की संख्या वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने कुल इंटरनेट बाजार के 99.93 प्रतिशत पर पकड़ बना रखी है।

(घ) छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जिनका ग्राहक आधार 10,000 से कम है वे छोटी छोटी पॉकेटों में सेवा देते हैं और इंटरनेट ग्राहक बाजार का केवल 0.07 प्रतिशत पर उनका अधिकार है। उनके परिचालन के पैमाने और बाजार की पहुंच को देखते हुए, यह कतई असंभावित है कि इन छोटे आकार वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के द्वारा, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल में, टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता के माध्यम से प्राप्त होने वाले विनियामक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जायेगा।

(ड) इन छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को टैरिफ रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता में छूट देने का यह मतलब नहीं है कि उनके लिए विनियामक सिद्धांत, दिशानिर्देश, आदि लागू नहीं होते। इन छोटे आकार के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के संचालन और परिणामी कारोबार को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को यह महसूस हुआ कि ऐसी छूट देने से उन्हें विनियामक सिद्धांतों के अनुपालन की लागत को कम करने में मदद मिलेगी और जैसे ही वे 10,000 के ग्राहक आधार को प्राप्त कर लेगें, वे टैरिफ रिपोर्टिंग की आवश्यकता के दायरे के अंतर्गत आ जाएंगे।

6. विस्तृत विचार–विमर्श और अग्रिम जांच के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित का निर्णय लिया है:–

(क) किसी भी इंटरनेट सेवा प्रदाता को एक वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाती है अगर उसके ग्राहकों की कुल संख्या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन दस हजार से कम (<10000) हो। हालांकि, ऐसे इंटरनेट सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा पेशकश किये गये टैरिफ, विनियामक सिद्धांतों के साथ संगत हों तथा सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हों।

(ख) दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के द्वारा थोक ग्राहकों को निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस सेवा प्रदाताओं एवं थोक ग्राहकों के बीच विचार विमर्श के आधार पर पेशकश की गई टैरिफ की रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए भी लागू कर दिया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

No. 310-5(2)/2013-F&EA—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (FIFTY NINTH AMENDMENT) ORDER, 2014

No. 8 of 2014

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fifty Ninth Amendment) Order, 2014.

(2) This Order shall come into force from the date of notification in the official Gazette.

2. In clause 7 of the Telecommunication Tariff Order, 1999, in sub-clause (i),---

(a) in the first proviso, after the words "access provider", wherever appearing, the words "or Internet service provider" shall be inserted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that nothing contained under this sub-clause shall apply to any Internet service provider during a financial year if the total number of its subscribers is less than ten thousand on the last day of the preceding financial year".

MANISH SINHA, Advisor (F&EA-I)

[ADVT. III/4/Exty./142/14]

Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51st	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012

55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014

Note.2. – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fifty Ninth Amendment) Order, 2014.

Explanatory Memorandum

1. The clause 7 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the TTO, 1999) stipulates that all service providers shall comply with the reporting requirement in respect of tariffs specified for the first time and also all subsequent changes; provided that in respect of tariff plans offered by a telecom access provider to bulk customers, such as corporates, small and medium enterprises, institutions, etc. either in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer, the reporting requirement shall not apply. The reporting requirement has been defined in clause 2 (l) of TTO, 1999 as obligation of a service provider to report to the Authority, any new tariff for telecommunication services and/ or any changes therein within seven working days from the date of implementation of the said tariff for information and record of the Authority after conducting a self-check to ensure that the tariff plan(s) is/are consistent with the regulatory principles in all respects which *inter-alia* include IUC compliance, non-discrimination and non-predation.

2. With regard to the tariff reporting requirement, Internet Service Providers Association of India (ISPAI) requested the Authority for the following:

   (i) Exemption from tariff reporting requirement for small Internet Service Providers (ISPs) as there are large number of small ISPs, who are providing internet services under Category - B or C in a limited manner and they have neither huge subscriber bases nor high revenues.

   (ii) Exemption from tariff reporting for the tariffs offered to bulk customers, similar to the one that exists for access service providers for all ISPs.

3. In this regard, the Authority had issued a draft TTO (59th Amendment), 2014 on the 24.09.2014 exempting the small ISPs (having subscribers <10,000) from the reporting requirement and extending the existing exemption given to access providers in respect of tariff schemes offered to bulk customers in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer to the ISPs, for comments of the stakeholders to be submitted by the 14.10.2014.

4. Comments have been received by the Authority from 10 stakeholders (3 Industry Associations, 5 TSPs, 1 Consumer association and 1 other). The comments received have already been uploaded on the website of TRAI. The comments received from the stakeholders are summarized as under:

   (a) Most of the stakeholders have supported the extension of the existing exemption for access providers in respect of tariff schemes offered to bulk customers in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer to the ISPs.

   (b) Some of the stakeholders have supported and welcomed the decision of the Authority to exempt the small ISPs from tariff reporting requirement.

   (c) One of the stakeholders has opined that the subscriber criteria for small ISPs with less than 10,000 should be for each licensed service area instead of pan India.

   (d) One of the stakeholders (ISPAI) has requested that all the category-C ISPs be exempted from reporting requirement irrespective of their number of subscribers.

   (e) Some of the stakeholders have opined that the tariff reporting requirement should be uniform across all service providers irrespective of the services offered by them/size of their subscriber base. They have also opined that there is no linkage between the number of subscribers of an operator and the regulatory obligation of tariff reporting.

   (f) Some of the stakeholders have opined that the market is highly competitive which ensures the consumer interest with regard to tariffs is protected; therefore, all the service providers should be exempted from tariff reporting and not just those ISPs with minimum 10,000 subscriber base.

   (g) One of the stakeholders has opined that there are several consumers' complaints against these small ISPs and therefore, no exemption should be granted to them. It may be noted that the complaints enumerated by the stakeholder are related to quality-of-service, billing, etc., which cannot possible be addressed through reporting of tariff to TRAI.

5. With regard to the issue of exemption of tariff reporting requirement for small ISPs, the Authority took note of the following:

(a) The Authority has been relaxing the reporting requirement alongside the evolution of competition in the market. Regulation has moved from a regime where tariffs were to be filed at least five days before the implementation, to the current regulatory regime, in which the tariffs have to be reported within seven working days after implementation.

(b) The main objective intended to be achieved through the process of tariff reporting is to have a check on the tariff schemes from the point of view of their being consistent with the regulatory principles in all respects including IUC compliance, non-discrimination and non-predation.

(c) On 31.03.2014, there were about 25.2 crore Internet subscribers in the country. Top 10 ISPs command about 97.87% of the entire ISP market, in terms of number of subscribers. Top 18 ISPs have subscriber bases greater than 1 lakh and top 43 ISPs have subscriber bases more than 10,000. The ISPs, who have a subscriber base greater than 10,000, together hold 99.93% of the total ISP market.

(d) The small ISPs with subscriber bases less than 10,000, operate in small pockets only and account for just 0.07% of the total ISP market. Given the extent of their scale of operation and market reach, it is quite unlikely that these small-sized ISPs would violate the regulatory principles sought to be achieved by way of tariff reporting, especially in the competitive environment.

(e) Exemption from tariff reporting requirement granted to these small ISPs does not mean that the regulatory principles, guidelines, etc. would not apply to these small ISPs. Keeping in view the small size of operations and resultant turnover of these small ISPs, the Authority feels that such exemption would help them in reducing their compliance costs and once they achieve a subscriber base of 10,000 they will come under the ambit of tariff reporting requirement.

6. After detailed deliberations and further examination, the Authority has decided the following:

(i) To exempt any ISP from the reporting requirement during a financial year if the total number of its subscribers is less than ten thousand (<10,000) on the last day of the preceding financial year. However, such Internet service providers shall ensure that the tariffs offered by them are consistent with the regulatory principles and comply with all the regulatory requirements.

(ii) To extend the existing exemption given to access providers in respect of tariff schemes offered to bulk customers in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer to the ISPs also.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.